न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 174 / 2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. अमराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 57 वर्ष
2. चौनाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 53 वर्ष
3. बाबुराम पुत्र आम्बाराम उम्र 50 वर्ष
4. भंवराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 55 वर्ष
5. मुलाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 59 वर्ष

जातियान कुम्हार निवासी मनावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. चेनाराम पुत्र बुदराराम उम्र 51 वर्ष
2. डूंगराराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 28 वर्ष
3. दमाराम पुत्र बुदराराम उम्र 54 वर्ष
4. रावताराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 25 वर्ष
5. वीराराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 23 वर्ष
6. सुजाराम पुत्र बुदराराम उम्र 60 वर्ष
7. हेमाराम पुत्र बुदराराम उम्र 70 वर्ष
8. खेताराम पुत्र मालाराम उम्र 62 वर्ष 9. बगदाराम पुत्र मालाराम उम्र 65 वर्ष
10. बगदाराम पुत्र गुलाराम उम्र 54 वर्ष
11. लाधाराम पुत्र गुलाराम उम्र 62 वर्ष
12. लिछमनाराम पुत्र गुलाराम उम्र 58 वर्ष

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मनावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

13. खरथाराम पुत्र खेताराम उम्र 75 वर्ष
14. गिरधारीराम पुत्र खेताराम उम्र 65 वर्ष
15. डाईदेवी पत्नि देवाराम उम्र 60 वर्ष
16. रूगाराम पुत्र देवाराम उम्र 57 वर्ष
17. लुम्बाराम पुत्र खेताराम उम्र 70 वर्ष
18. रूपाराम पुत्र देरामाराम उम्र 58 वर्ष
19. रूखमों पत्नि राऊराम उम्र 62 वर्ष
20. उदाराम पुत्र पीथाराम उम्र 90 वर्ष
21. चुतराराम पुत्र उदाराम उम्र 58 वर्ष
22. [illegible] उम्र 28 वर्ष
23. जेठा[illegible] पुत्र [illegible]राम उम्र 57 वर्ष
24. [illegible] उम्र [illegible] वर्ष
25. रूगाराम [illegible] सोनाराम उम्र 23 वर्ष
26. हेमाराम पुत्र सोनाराम उम्र 28 वर्ष

जातियान जाट निवासी मनावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

27. पुनमसिंह पुत्र हीरसिंह उम्र 70 वर्ष

जाति पुरोहित निवासी मनावास तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सिणधरी जिला बाड़मेर

28. दुदाराम पुत्र बीजाराम उम्र 75 वर्ष

29. नेमाराम पुत्र बीजाराम उम्र 55 वर्ष

जातियान गरुडा निवासी मनावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

30. सरपंच, ग्राम पंचायत मनावास, पं.स. सिणधरी, बाड़मेर

31. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. श्री गणपतदान चारण, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 28, 29

3. विप्रार्थी संख्या 1 से 27 व 30– एकतरफा

आदेश

दिनांक 03.11.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढे विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दस्तन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 27 व 30 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 27 व 30 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 27 व 30 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 28 व 29 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. इसके विपरित वकील विप्रार्थी सं. 28 व 29 की बहस है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 20,46,46/2 के पड़ौस में जुड़ती भूमि विप्रार्थीगण की अवश्य आई हुई है तथा प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य माठ, सेढ़े विद्यमान है, वो वर्षो पुराने अर्थात वक्त सेटलमेंट से कायम किये हुए है तथा सेढ़ो पर रेत के बड़े–बड़े छीले जमे हुए है एवं सेढ़ो रप खेजड़ी, बबूल, केर इत्यादि के वर्षो पुराने वृक्ष लगे हुए है, इस प्रकार प्रार्थीगण विप्रार्थी सं. 28 व 29 के खेतों के मध्य सेढ़ा या माठ को लेकर विवाद नहीं है, न ही पैदावार के संबंध में कोई विवाद या तनाजा है। इसके विपरित प्रार्थीगण स्वये द्वारा पुरानी माठों को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है ऐसी स्थिति में विप्रार्थी सं. 28 व 29 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौजा सरहद मनावास तहसील सिणधरी के खेत खसरा [illegible] 18/1 रकबा 4.0288 हैक्ट, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 3.2441 हैक्टेयर कुल रकबा 7.2729 [illegible] भूमि जो विप्रार्थी सं. 28 व 29 के खातेदारी हक हकूको की होने से प्रार्थीगण के साथ [illegible] उनके खेतो का भी सीमांकन करते हुए नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे, जिससे [illegible] पक्षकारान् के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण मौके पर ही किया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:15 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास

के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा ख़तौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है तथा विप्रार्थी सं. 28 व 29 जो सेढ़ा पड़ौसी होने के नाते अपनी खातेदारी जोत मौजा मनावास तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 18/1 रकबा 4.0288 हैक्ट, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 3.2441 हैक्ट, कुल रकबा 7.2729 हैक्ट भूमि की है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 28 व 29 अपनी–अपनी विवादित भूमि के रिक़ार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डेड खातेदारान् अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 28 व 29 हकदार भी है। विवादित भूमि की सीमाज्ञान हेतु आवेदन दिनांक 03.06.2021 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 27 व 30 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन एवं विप्रार्थी सं. 28 व 29 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन व विप्रार्थी सं. 28 व 29 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावास के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 4.0369 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46/2 रकबा 0.2346 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7291 हैक्टेयर के साथ–साथ विप्रार्थी सं. 28 व 29 के खातेदारी खेत मौजा मनावास तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 18/1 रकबा 4.0288 हैक्ट, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 3.2441 हैक्ट, कुल रकबा 7.2729 हैक्ट भूमि के सीमांकन बाद चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500–500/प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 28 व 29 मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:15 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी